



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(भवन और योजनाएं मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, निधि भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005
Regional Office, Nidhi Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur-302005

क्रमांक: आरजे/जेपीआर/आंचलिक कार्या./प्रशा.तृतीय/

दिनांक :


‘कार्यालय हेतु भवन किराए पर लेने हेतु निविदा’

इस संगठन द्वारा जयपुर में आंचलिक कार्यालय खोलने हेतु 10000 वर्गफुट क्षेत्र (कारपेट एरिया) का, जो कि क्षेत्रीय कार्यालय, ज्योति नगर, जयपुर के 3 किमी की परिधि में स्थित हो, भवन किराए पर लिया जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित हैं।

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें क्षेत्रीय कार्यालय में उपरोक्त वर्णित पते पर किसी भी कार्य दिवस को 1000/- रुपये की नकद राशि अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करने के पश्चात प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालय की वेबसाईट www.epfindia.gov.in, www.epfrajasthan.org के टेण्डर पृष्ठ से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ 1000/- की राशि को बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर के नाम से जो नॉन रिफण्डेबल होगा, लगाना आवश्यक है।

पूर्णरूप से भरे प्रपत्र रु. 20000/- की धरोहर राशि (EMD) सहित दिनांक 11.05.2017 को अपराह्न 1.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर को जमा किए जाने आवश्यक है। प्राप्त निविदा प्रपत्र उसी दिन सांय 2:00 बजे तक उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोले जायेंगे।

मोहरबंद लिफाफे के ऊपर “आंचलिक कार्यालय, जयपुर हेतु कार्यालय भवन किराए पर देने हेतु निविदा” अवश्य अंकित करें। अन्य जानकारी हेतु उपरोक्त पते अथवा दूरभाष पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।


सहायक भविष्य निधि आयुक्त
राजस्थान

आंचलिक कार्यालय, जयपुर (राज0) हेतु किराये के भवन हेतु
तकनीकी निविदा (Technical Bid)

1	भवन जो किराये के लिए प्रस्तावित है, उसका पूर्ण पता	
2	प्रस्तावित भवन जिसको किराये पर देना है उसका फ्लॉट एरिया चौड़ाई X लम्बाई दर्शाते हुएवर्गफीट
3	प्रस्तावित भवन जिसको किराये पर देना है उसका निर्मित कवर्ड एरिया (Built-up covered area)वर्गफीट
4	प्रस्तावित भवन जिसको किराये पर देना है उसमें उपलब्ध खाली एरिया (Open area)वर्गफीट
5	ईएमडी (धरोहर) राशि रु. 20000/- का डीडी0, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर के नाम से देय, संलग्न है।	डी.डी. सं..... दिनांक..... बैंक का नाम..... व शाखा.....
6	निविदादाता (मकान मालिक) का पूर्ण नाम व पता 1-दूरभाष /मोबाईल /फैक्स नं. 2-ईमेल आईडी	
7	निविदादाता का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर(गदि है)	
8	प्रस्तावित भवन जिसको किराये पर देना है उसका स्पष्ट नक्शा एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट।	संलग्न है/नहीं।
9	टीयलेटस की संख्या	पुरुष टीयलेटस..... महिला टीयलेटस.....
10	भवन के स्नामित्व संबंधी दस्तावेज: (लीज डीड/पट्टा/एग्रीमेन्ट/करीयत की तय्य तलापित प्रति)	
11	विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था मय स्वीकृत पावर लोड सहित अंकित करें:-	
12	बिजली कनेक्शन घरेलु अथवा व्यावसायिक है अथवा दोनों हैं, अंकित करें:-	
13	क्या भवन में पर्याप्त बिजली अर्थिंग/फिटिंग/फिक्चर्स पावर प्लग व स्वीचेज है?	हां/नहीं
14	क्या भवन में पीने के पानी एवं स्टोर्ड पानी की पर्याप्त आपूर्ति है एवं अण्डरग्राउण्ड/ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक उपलब्ध है?	हां/नहीं
15	क्या भवन में पर्याप्त सेनेटरी एवं वाटर सप्लाय यंत्र उपलब्ध है?	हां/नहीं
16	क्या भवन में वाहनों के पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान है? कृपया पार्किंग एरिया अंकित करें	हां/नहीं

17	प्रस्तावित भवन में अन्य कोई सुविधाएँ जैसे पावर बैंकअप सुविधाएँ/फायर सेफ्टी संयंत्र इत्यादि हो तो उनका विवरण	
18	भवन जिस सड़क पर स्थित है उसकी चौड़ाई एवं रेल्वे स्टेशन/बस स्टैण्ड से औसत दूरीफीट किलोमीटर किलोमीटर
19	क्या भवन का कब्जा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के बाद 30 दिवस के अन्दर देने के लिए तैयार है?	

घोषणा पत्र

मैंने/हमने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं एवं इन शर्तों से सहमत हैं। मैं..... पुत्र/पुत्री श्री यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सभी सूचनाएँ एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से गैरी जानकारी में सत्य हैं। साथ ही यह भी प्रमाणित करता हूँ कि प्रस्तावित भवन के संबंध में कोई विवाद किसी न्यायालय अथवा अन्य राजकीय/प्राइवेट व्यक्ति के साथ नहीं चल रहा है एवं उक्त भवन को कार्यालय के लिए किराये पर दिये जाने हेतु कोई रोक/कानूनी बाधा नहीं है। मैं भवन न्यूनतम 05 वर्ष के लिए किराये पर देने के लिए इच्छुक हूँ। मुझे भवन में ईपीएफओ द्वारा कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए कैंबल/वायरिंग एवं डिवाइसेस आदि लगवाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। निविदा का प्रस्ताव 4 माह तक valid होगा।

भवन मालिक.....

नाम.....

दिनांक

स्थान

अनुलग्नक:-

1. धरोहर राशि की मूल बैंक ड्राफ्ट
2. भवन का नक्शा
3. भवन स्वामित्व से संबंधित स्वयं सत्यापित दस्तावेज
4. बिजली के अंतिम उपलब्ध माह के बिल की छाया प्रति
5. पानी के अंतिम उपलब्ध माह के बिल की छाया प्रति
6. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की छाया प्रति

आंचलिक कार्यालय, जयपुर (राज0) हेतु किराये के भवन हेतु
वित्तीय निविदा (Financial Bid)

1	भवन जो किराये के लिए प्रस्तावित है उसका पूर्ण पता	
2	प्रस्तावित भवन जिसको किराये पर देना है उसका निर्मित एरिया (Built-up covered area) वर्गफीट
3	निर्मित कवर्ड एरिया(Built-up covered area) की प्रति वर्गफीट मासिक किराया दर (रु. में)	अंको प्रति वर्गफीट शब्दों में... प्रति वर्गफीट
4	अन्य कोई शुल्क जिसका भुगतान किया जाना हो(रु. में)	
5	कुल मासिक किराया(रु. में) (वर्तमान एवं भावी Property taxes, Municipal taxes, Local taxes व अन्य सरकारी शुल्क जो भवन पर leviable है भवन मालिक द्वारा देय होंगे)	
6	पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित किराया पर पर भवन किराये पर देने हेतु सहमति	हां/नहीं

घोषणा पत्र

मैंने/हमने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तें पढ़ एवं समझ ली है इन शर्तों से सहमत है। मैं..... पुन/पुत्री श्री..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सभी सूचनाएँ एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से मेरी जानकारी में सत्य है। वास्तविक बिल्ट अप एरिया का निर्धारण ईपीएफओ द्वारा निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार किया जाना स्वीकार है।

भवन मालिक के हस्ताक्षर.
 नाम
 दिनांक
 स्थान.....

निविदा की शर्तें

1. निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति ही स्वीकार योग्य होगी। फोटो प्रति स्वीकार योग्य नहीं होगी। निविदादाता को निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर पूर्ण हस्ताक्षर करने हैं। निविदा प्रपत्र में शब्दों अथवा अंकों में Over writing/white fluid का प्रयोग न करें, यदि फिर भी किया जाता है तो उसे सही तरीके से पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।
2. एक से अधिक भवन के प्रस्ताव होने पर कृपया अलग अलग निविदा प्रपत्र भरें एवं प्रत्येक प्रस्ताव के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में संलग्न करें।
3. निविदा दोहरी निविदा Two Bid System प्रणाली के अंतर्गत दो लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी।

(i) प्रथम मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी निविदा(फार्म ए) जिसमें भवन के तकनीकी मापदण्डों के विवरण होगा, जो पूर्ण रूप से भरकर रखें। साथ ही 20000/- ₹50 की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर के नाम से आहरित हो भी इस लिफाफे में होना आवश्यक है। इस लिफाफे में पैनाकार्ड की छायाप्रति, भवन का नक्शा, भवन के स्वामित्व संबंधित दरतावेजों की छायाप्रति, बिजली व पानी के उपलब्ध अंतिम माह के बिलों की छायाप्रतियां भी संलग्न करना आवश्यक होगा। इस लिफाफे में धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट नहीं प्राप्त होने की स्थिति में निविदा निरस्त हो जायेगी। तकनीकी निविदा वाले लिफाफे के उपर "आंचलिक कार्यालय, जयपुर हेतु भवन किराए पर देने संबंधी तकनीकी निविदा" लिखते हुए आवेदन अपना नाम व पता अवश्य लिखें

कृपया गंठ ध्यान रखें कि इन तकनीकी निविदा फार्म ए में वित्तीय विवरण जैसे -किराये की राशि अथवा अन्य काई चार्जेज अंकित नहीं हो।

(ii) द्वितीय मुहरबंद लिफाफा वित्तीय निविदा जिसमें प्रस्तावित भवन के लिए जार्च किये जाने वाले किराये व अन्य वित्तीय बिन्दुओं जैसे मेन्टेनेंस चार्जेज, टैक्सेज, किरायानामा नवीनीकरण इत्यादि का उल्लेख होगा। वित्तीय निविदा वाले लिफाफे के उपर "आंचलिक कार्यालय, जयपुर हेतु भवन किराए पर देने संबंधी तकनीकी निविदा" लिखते हुए आवेदन अपना नाम व पता अवश्य लिखें।

4. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दोनों के प्रपत्र में उल्लेखित सभी बिन्दुओं का उत्तर दें।
5. PWD/CPWD से assessed fair rent को स्वीकार करने वाले निविदादाता वित्तीय निविदा के क्रम संख्या 6 में स्पष्ट "हाँ" की स्थिति में वित्तीय निविदा के क्रम संख्या 5 एवं 6 में से न्यूनतम किराया ही देय होगा।
6. चूंकि निविदा Two Bid System में है, इसलिए निविदा प्रस्तुत करने के लिए तीन लिफाफे निम्नानुसार प्रयोग किये जाने चाहिए:-
 - (i) पहला लिफाफा-तकनीकी निविदा के लिए, जिसे क्रम संख्या 3(i) में निर्देशित अनुसार तैयार करना है।
 - (ii) दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा के लिए, जिसे क्रम संख्या 3(ii) में निर्देशित अनुसार तैयार करना है।

(iii) तीसरा लिफाफा उपर्युक्त दोनों लिफाफों के लिए है और इस लिफाफे को भी उचित तरीके से मोहरबंद (Seal) करें। इस लिफाफे के "आंचलिक कार्यालय, जयपुर हेतु भवन किराए पर देने संबंधी तकनीकी निविदा" लिखते हुए आवेदन अपना नाम व पता अवश्य लिखें।

7. उपर्युक्त अनुसार तैयार निविदा पर व्यक्तिगत अथवा रांवाहक के माध्यम से विज्ञापन में दी गई निर्धारित समय पर तिथि तक अथवा उससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर पहुंचनी चाहिए। निर्धारित समय व तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जावेगा।
8. तकनीकी निविदाएँ दिनांक 11.05.2017 को सांय 2:00 बजे निविदादाताओं (जो उपस्थित रहना चाहें) की उपस्थिति में खोली जावेगी।
9. तकनीकी निविदाओं को खोलने एवं उनका मूल्यांकन के पश्चात् उन्हें शोर्टलिस्ट किया जावेगा। इस सूची में रखे गये निविदादाताओं के भवनों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया जावेगा।
10. वित्तीय निविदाएँ बाद में खोली जावेगी एवं जिनको खोलने की तिथि निविदादाताओं को अलग से मोबाईल/दूरभाष/ईमेल/फैक्स, जो भी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध होगा, पर सूचित किया जायेगा। उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं को खोला जावेगा जिनकी तकनीकी निविदा शोर्टलिस्ट हुई है और जिनके तकनीकी निविदा प्रपत्र एवं प्रस्तावित भवनों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा गठित कमेटी ने निरीक्षण के पश्चात् वित्तीय निविदा खोलने के लिए उपयुक्त बताया है।
11. किराये पर देने के लिए प्रस्तावित भवन में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए:-
 - i. पर्याप्त पानी (पीने के पानी सहित) एवं बिजली की सुविधा, उचित आर्थिंग सहित
 - ii. अंशदाताओं एवं रदाफ के लिए पर्याप्त पार्किंग,
 - iii. अंशदाताओं के बैठने के लिए पर्याप्त वॉटिंग स्थान
 - iv. सभी कमरों में पर्याप्त प्रकाश व हवा,
 - v. महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स
 - vi. सुरक्षा की दृष्टि से उचित चारदिवारी व मुख्य द्वार हो व
 - vii. मुख्य भवन में प्रवेश बाधा रहित हों।
12. प्रस्तावित भवन में सरकारी/स्थानीय प्राधिकारियों से निर्माण की स्वीकृति ली हुई हो। भविष्य में यदि कोई ढोंचागत मरम्मत व सुधार आवश्यक होने पर उसको भवन मालिक स्वयं संबंधित सरकारी/स्थानीय प्राधिकारियों के अनुमति से जहां अपेक्षित हो प्राप्त कर करवायेगा।
13. प्रस्तावित भवन पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए एवं किराये पर कब्जा लेने के लिए अधिकतम 30 दिनों में (प्रस्तावित स्वीकार किये जाने की तिथि से) उपलब्ध होना चाहिए इस अवधि में वांछित alteration/partition etc. (यदि आवश्यक हों) कराना भी शामिल है। भवन पर किसी भी प्रकार का कोर्ट केस लम्बित नहीं होना चाहिए।
14. यदि भवन एक फ्लोर के ज्यादा हो तब सभी तल लगातार होने चाहिए एवं निविदादाता के पास भवन का स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिए, किराये पर देने के लिए बाधरहित कब्जा होना चाहिए।
15. प्रस्तावित भवन कहीं पर भी रहन या लीज पर दिया हुआ नहीं होना चाहिए एवं भवन पूर्ण रूप से भवन मालिक के स्वामित्व में होना चाहिए। इस संगठन द्वारा किसी भी बिचौलिए एवं दलाल के द्वारा भवन किराये पर नहीं लिया जायेगा।
16. संगठन द्वारा कोई भी अग्रिम राशि भवन मालिक को नहीं दी जावेगी।

17. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित भवन के दो फोटोग्राफ (One close up and one long shed) एवं संलग्न करना होगा, जिसमें जो भाग किराये पर देना है उसको स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया हो, और उसका Built up Covered Area भी इंगित करें एवं इंगित किया हुआ Built up Covered Area का आशय निम्नानुसार है:-

Built up Covered Area does not include the following

- (i) Open Chabutara and Chabutara not surrounded by walls
- (ii) Portico/porch
- (iii) Uncovered staircases inside building
- (iv) Area covered by chajja of door/windows

However following will be included in the Built up area

- (i) Inside covered staircases
- (ii) ½ area of uncovered balcony
- (iii) Verandah covered by Top(Roof)
- (iv) Canopy or covered balcony with parapets and railing around the balcony

18. निविदा का प्रस्ताव 4 माह तक Valid होना चाहिए। निविदादाता का प्रस्ताव स्वीकार होने के पश्चात यदि निविदादाता लीज एग्रीमेन्ट नहीं करता अथवा एग्रीमेन्ट के बाद मकान का कब्जा नहीं प्रदान करता अथवा निविदा की शर्तों अनुसार पालना नहीं करता है तो उसकी EMD राशि जब्त कर ली जावेगी। असफल निविदादाताओं को EMD की राशि (जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा) सफल निविदादाता को आदेश जारी करने के बाद लौटा दी जावेगी।

सफल निविदादाता की EMD परोहर राशि भी (जिस पर कोई ब्याज दे नहीं होगा) भवन का एग्रीमेन्ट होने व कब्जा देने के पश्चात दो माह के अन्दर लौटा दी जावेगी। इन 30 दिवसों में भवन मालिक भवन से संबंधित कोई वांछित Alteration/Partition (यदि आवश्यक हो) की पूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे।

19. भवन में कार्यालय संगठन के लिए आईटी/Computer नेटवर्किंग हेतु एवं फिक्चर्स की स्थापना ईपीएफओ द्वारा अपने खर्च से की जावेगी। आग भवन मालिक को उक्त संयंत्रों की स्थापना में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

20. भवन मालिक को Lease Proforma (प्रति संलग्न) में किरायानामा का एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित करना होगा एवं इसको बनाने/निष्पादित करने का खर्च भवन मालिक को वहन करना होगा। लीज की अवधि पांच वर्ष होगी जिसका आपसी सहमति से तय किराया दर शर्तों व अवधि के लिए नवीनीकरण अधिकतम 15 प्रतिशत वृद्धि के किया जा सकेगा। भवन का किराया प्रथम पांच वर्षों के लिए वही रहेगा जो एग्रीमेन्ट के समय तय हुआ है।

21. भवन में ईपीएफओ द्वारा लगाये गये समस्त आईटी इन्फ्रस्ट्रक्चर्स, फिटिंग एवं फिक्चर्स संगठन की सम्पत्ति होगी एवं ईपीएफओ अपनी ऐसी सम्पत्तियों लीज की समाप्ति पर अपने विवेक एवं सुविधानुसार भवन से हटाने अथवा अन्यत्र भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

22. भवन में 50 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। 50 किलोवाट से कम विद्युत संबंध होने की स्थिति में भवन मालिक को अधिकतम 60 दिन के अन्दर 50 किलोवाट का विद्युत संबंध उपलब्ध करवाना होगा। विद्युत संबंध बढ़ाने संबंधी उक्त खर्च भवन मालिक को वहन करना होगा।

23. विद्युत संबंध भवन मालिक के नाम से होने की स्थिति में विद्युत का सब मीटर भवन मालिक लगवायेगा एवं ईपीएफओ उक्त मीटर के उपयोग अनुसार विद्युत खर्च की राशि भवन मालिक को नियमानुसार ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, जयपुर के प्रभारी अधिकारी अदा करेंगे। इसी प्रकार उपभोग के खर्च की राशि

आंबलिक कार्यालय, जयपुर के प्रभारी अधिकारी द्वारा भवन मालिक को अदा की जावेगी।

24. निविदा में प्रस्तावित किराये की राशि के अतिरिक्त कोई राशि ईपीएफओ द्वारा स्वीकार नहीं होगी। ईपीएफओ भवन के संबंध में किराये की तय राशि के अतिरिक्त किसी सरकारी/प्राइवेट/अर्द्धसरकारी बकायों के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। लीज अवधि में ईपीएफओ को उपयोग संचालन करने हेतु स्वतंत्र होगा। यदि तय किराया पर सेवाकर देय होता है तो उसकी अदायगी नियमानुसार ईपीएफओ द्वारा की जावेगी।
25. क्षेत्रीय कार्यालय, ज्योति नगर, जयपुर से प्रस्तावित दूरी, स्थान (Location) एवं बुनियादी सुविधाओं आदि को प्राथमिकता दी जा सकती है।
26. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी भी प्रस्ताव अथवा सभी प्रस्ताव(न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) को बिना दोगेई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है।
27. लीज अवधि के दौरान भवन मालिक इस भवन को अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना अन्य किसी को रहन/बिक्री/स्थानान्तरित नहीं कर सकेगा।
28. तकनीकी विड के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :-
धरोहर राशि का मूल बैंक ड्रापट।
प्रस्तावित भवन जो किराये पर देना है उसका स्पष्ट नक्शा।
भवन स्वामित्व से संबंधित स्वयं सत्यापित दस्तावेज।
आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की छाया प्रति।
विजली व पानी के अंतिम उपलब्ध माह के बिल की छाया प्रति।
29. किराये की राशि में से आयकर अधिनियम के तहत यदि टीडीएस देय है तो नियमानुसार कटौती की जावेगी।
30. सभी निविदादाता निविदा प्रस्तुत करने पूर्व जांच कर ले कि उनके द्वारा दी गई सूचनाएँ/दस्तावेज सही है।
31. भवन क्षेत्रीय कार्यालय, ज्योति नगर, जयपुर के 3 किमी की परिधि में स्थित हो।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
जयपुर, राजस्थान

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तें पढ़ ली है/समझ ली है एवं मैं/हम इनसे सहमत है।

भवन मालिक के हस्ताक्षर

नाम

स्थान

दिनांक